

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 11, मंगलवार, शाके 1932—नवम्बर 2, 2010 Kartika 11, Tuesday, Saka 1932—November 2, 2010

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2010

संख्या प. 20 (84) एआर/आरटीआई/2009:—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा स्थापित राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से, हंसा सिंह देव, शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर।

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT (RIGHT TO INFORMATION CELL)

NOTIFICATION

Jaipur, November 2, 2010

No. F.20(84) AR/RTI/2009.—In exericse of the powers conferred by sub-section (4) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005), the State Government hereby sepecifiy, the State Directorate of Revenue Intelligence established by the Government, as the Intelligence and Security Organization, for the purposes of the said Act.

By Order of the Governor, हंसा सिंह देव, DY. SECRETARY TO THE GOVERNMENT.